महतवपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग- 5, लखनऊः दिनांकः 06 सितम्बर, 2025

विषय: मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07 मार्च, 2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-समे0शि0/रिट याचिका /3330/2025-26 दिनांक 12.08.2025 एवं पत्रांक-महा0नि0स्कूल0शि0/3882/2025-26 दिनांक 28.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07 मार्च, 2025 का अनुपालन कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- रिट याचिका सं0 132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07 मार्च, 2025 का अनुपालन किये जाने हेतु संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजूकेटर्स का चयन/नियुक्ति किये जाने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(1) विशेष शिक्षक हेतु पदों का चिन्हीकरण एवं पद सृजन:-

प्रदेश मे संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक एवं शैक्षिक हित के दृष्टिगत बच्चों के शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु कुल 5,352 पद चिन्हित किये गये हैं। जिसमें प्राथमिक स्तर के 3008 तथा कम्पोजिट एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 2344 पद सम्मिलित है। बेसिक शिक्षा परिषद के वर्तमान में प्राथमिक स्तर के 45256 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 8041 रिक्त सहायक अध्यापक पदों में से विशेष शिक्षक (CWSN) हेतु प्राथमिक स्तर के 3008 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 2344 पद अर्थात कुल 5,352 पदों को परिवर्तित करते हुए विशेष शिक्षक (CWSN) पद का चिन्हीकरण किया जाएगा। उक्त चिन्हीकरण/पद सृजन के पश्चात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में संवर्गवार पदों का विवरण निम्नवत होगा:-

क्र0 सं0	संवर्गवार पदों का विवरण	पूर्व स्वीकृत पद	चिन्हीकरण/पद सृजन के पश्चात स्वीकृत पद
01	02	03	04
01	सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय	314131	311123
02	सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय	113702	111358
03	सहायक अध्यापक, विशेष शिक्षक (CWSN), प्राथमिक विद्यालय	00	3008
04	सहायक अध्यापक, विशेष शिक्षक (CWSN), उच्च प्राथमिक विद्यालय	00	2344
	योग	**427833**	**427833**

(2) विशेष शिक्षक (CWSN) की अर्हता :-

- स्पेशल एजुकेटर्स प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से 05 तक) हेतु विशेष शिक्षक (CWSN) के लिए अर्ह होगें, जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ-साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त, डी0एड0 विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजूकेटर्स के पास

एक्टिव सी0आर0आर0 नम्बर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।

- स्पेशल एजुकेटर्स उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 06 से 08 तक) हेतु विशेष शिक्षक (CWSN) के लिए अर्ह होगें, जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ-साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त, बी0एड0 विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजूकेटर्स के पास एक्टिव सी0आर0आर0 नम्बर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
- सेवायोजन की तिथि तक अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- ऐसे संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स जो अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तथा भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा निर्धारित अर्हता रखते है, को स्क्रीनिंग समिति द्वारा पात्र पाये जाने पर नियुक्त किया जायेगा।
- ऐसे संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स जो टी0ई0टी0 उत्तीर्ण नही हैं, को विभाग द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (विशेष शिक्षक (CWSN) के लिये) उत्तीर्ण होने पर नियुक्त किया जायेगा।
- संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजूकेटर के नियुक्ति के पश्चात चिन्हित विशेष शिक्षक (CWSN) के अवशेष पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की कार्यवाही की जाएगी।

(3) अध्यापक पात्रता परीक्षा (CWSN) विशेष शिक्षक (CWSN) आयोजन के सम्बन्ध में:-

- अध्यापक पात्रता परीक्षा (विशेष शिक्षक (CWSN) के लिये) में स्नातक उत्तीर्ण के साथ-साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त, डी0एड0 (विशेष शिक्षा) (प्राथमिक स्तर हेतु) एवं बी0एड0 विशेष शिक्षा (उच्च प्राथमिक स्तर हेतु) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजूकेटर्स के पास एक्टिव सी0आर0आर0 नम्बर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
- संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजूकेटर्स को विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (STET) में प्रतिभाग हेतु अधिकतम 60 वर्ष (परीक्षा आयोजन की तिथि तक) की आयु सीमा अनुमन्य किया जाएगा।
- अध्यापक पात्रता परीक्षा (STET) विशेष शिक्षक (CWSN) में अनारक्षित श्रेणी का उत्तीर्णांक 45 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी का उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होगा।
- ऐसे स्पेशल एजूकेटर जिनके पास अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET/CTET) अर्हता नहीं है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (STET) उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु स्पेशल एजूकेटर्स को अधिकतम 04 अवसर प्राप्त होंगे । STET वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी। द्वितीय STET, प्रथम STET आयोजन के 06 माह के अन्दर आयोजित की जायेगी।
- जिन स्पेशल एजूकेटर्स के पास अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET/CTET) अर्हता है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (STET) उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा और उन्हें अर्ह पाये जाने पर तत्काल नियुक्ति प्रदान की जायेगी ।

(4) वेतनमान –

विशेष शिक्षक (CWSN) का वेतनमान प्राथमिक स्तर पर 7th पे0 कमीशन में पुनरीक्षित वेतनमान पे0मैट्रिक्स लेवल-6 वेतनमान में 34500-62200 तथा विशेष शिक्षक (CWSN) उच्च प्राथमिक स्तर का वेतनमान पे0मैट्रिक्स लेवल-7 वेतनमान में 44900-78800 नियुक्ति के पश्चात अनुमन्य होगा।

(5) विशेष शिक्षक (CWSN) के चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में:-

- विशेष शिक्षक (CWSN) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) में यथावश्यक संशोधन का प्रस्ताव शासन को 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।
- विशेष शिक्षक (CWSN) के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा पात्र पाये गये संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के चयन/नियुक्ति के संबंध में अग्रतर कार्यवाही हेतु

निम्नवत समिति गठित की जाती है:-

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) अर्ह पाये गये संविदा/डेलीवेजेज स्पेशल एजूकेटर्स को नियुक्ति के उपरान्त06 माह का क्रास डिसेबिलेटी ट्रेनिंग दिलायी जायेगी, ताकि वे सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो सकें।

(7) उक्त लाभ ऐसे कार्मिकों को ही अनुमन्य होगा, जो रिट याचिका सं0-132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित होने की तिथि दिनांक 20.02.2016 तक विभाग में संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत थे।

(8) शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय में भविष्य में किसी संशोधन / परिवर्तन हेतु मा. मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाता है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07 मार्च 2025 के अनुपालन में शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित कराते हुये शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Anand Kumar Singh
Date: 06-09-2025
19:57:44

(आनन्द कुमार सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित किसंविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजूकेटर्स की सूची महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 के माध्यम से राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 को 02 कार्य दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0/-
(आनन्द कुमार सिंह)
उप सचिव।